

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 135] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 1979/आषाढ़ 14, 1901
No. 135] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 5, 1979/ASADHA 14, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

निर्यात व्यापार विभाग

सार्वजनिक सूचना सं. 44-ईटीसी(पीएन)/79

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1979

विषय :—भारतीय भेड़ के मांस का निर्यात

मिसल सं. 1/5/78-ई आई.—निर्यात नीति, अप्रैल, 1979—मार्च, 1980 के पृष्ठ 9 पर
नीति विवरण के भाग "ख" की क्रम सं. 6(ख) के सामने के कालम-3 में दी गई निर्यात
नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिसके अनुसार मांस के निर्यात का विनियमित
करने की विद्यमान व्यवस्था 30-6-79 को समाप्त हो गई ।

2. अब यह निश्चय किया गया है कि विद्यमान व्यवस्था को 30-9-79 तक चलाया जाए।

3. क्रम सं. 6(ख) के सामने के कालम 3 में शर्त (3) की पाँचवीं पंक्ति में प्रदर्शित "30-6-79" तक "शब्दों को 30-9-79 तक" के रूप में पढ़ा जाएगा।

4. उक्त नीति में दर्शाई गई सभी अन्य शर्तें ज्यों की त्यों रहेंगी।

सी. वेण्कटरमन, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 44-ETC(PN)/79

New Delhi, the 5th July, 1979

Subject :—Export of meat of Indian Sheep

F. No. 1/3/78-E.I—Attention is invited to the Export Policy shown in Col. 3 against S. No. 6(b) of Part 'B' in the policy statement on page 9 of Export Policy, April, 1979—March, 1980 according to which the existing arrangement for regulating the export of meat expired on 30-6-79.

2. It has since been decided to continue the existing arrangements upto 30-9-79.

3. The words "upto 30-6-79" appearing in the 5th line in condition (iii) in Col. 3 against S. No. 6(b) shall read as "upto 30-9-79"

4. All other conditions shown in the said policy shall remain unchanged

C VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports & Exports